रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272815
CG-DL-E-22052026-272815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948
No. 356] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 397(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, *2025* (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ढ) तथा धारा 37 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ– (1) इन्हें विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) नियम, 2026 के अधीन संक्रमणकालीन उपबंध कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

क. "2005 का अधिनियम" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

ख. "2025 का अधिनियम" से विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 अभिप्रेत है;

ग. "नियत तिथि" से 2025 के अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तिथि अभिप्रेत है; ऐसी तिथि से और तदनन्तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005, उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं, योजनाओं, आदेशों और दिशा-निदेशों सहित निरस्त माना जाएगा;

घ. "प्रारंभ होने की तिथि" से विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, निर्धारित वह तिथि अभिप्रेत है जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा;

ङ. “अंतरिम व्यवस्था” से ऐसी योजना अभिप्रेत है, जो नियत तिथि से ठीक पूर्व प्रचलन में थी और जिसे राज्य सरकार द्वारा, ऐसे संशोधनों के साथ जारी रखा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके प्रावधान 2025 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों;

च. "कार्यान्वियन एजेंसी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम अभिप्रेत है, जो योजना के अधीन किए गए किसी भी कार्य के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व लेता है;

छ. "2005 के अधिनियम के अधीन देयताएँ" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (जिसे इसके पश्चात् महात्मा गांधी नरेगा के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन 2005 के अधिनियम के निरसन की तिथि तक किए गए, मज़दूरी, सामग्री, प्रशासनिक व्यय (सामाजिक लेखा-परीक्षा पर व्यय सहित), बेरोज़गारी भत्ता, विलंब मुआवजा तथा किसी अन्य स्वीकार्य व्यय से संबंधित सभी उपगत और स्वीकार्य बकाया व्यय अभिप्रेत हैं;

ज. "योजना" से राज्य सरकार द्वारा 2025 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;

झ. "राज्य" से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्यक्षेत्र शामिल है;

ञ. "संक्रमण तिथि" से 2025 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना की तिथि या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के माध्यम से अंतरिम व्यवस्था के प्रारंभ की तिथि, जो भी पहले हो; अभिप्रेत है; बशर्ते कि ऐसी तिथि 2025 के अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छह महीने के बाद की नहीं होगी।

ट. यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. संक्रमण का सामान्य सिद्धांत – (1) विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी), 2025 की धारा 37 की उपधारा (5) के साथ पठित, इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा 2025 के अधिनियम के अधीन संक्रमणकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है।

(2) 2025 के अधिनियम की धारा 10 में किए गए प्रावधानों को छोड़कर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005, उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं, योजनाओं, आदेशों और दिशा-निदेशों के साथ, ऐसी तिथि तक प्रवृत्त रहेगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे (जिसे इसके पश्चात् "नियत तिथि" के रूप में संदर्भित किया गया है), और उस तिथि से तथा तदनन्तर उक्त अधिनियम निरसित हो जाएगा बशर्ते कि 2005 के उक्त अधिनियम के अधीन सभी देयताओं को नियम 2 के खंड (छ) के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

4. 2005 के अधिनियम के अधीन वित्तीय देयताओं का निपटान – (1) नियम 2 के उपखंड (छ) में परिभाषित, 2005 के महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अधीन स्वीकृत योजना के अंतर्गत सभी देयताओं को, जो नियत तिथि पर विद्यमान हों, राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित तंत्र के अनुसार, समुचित सत्यापन के पश्चात् स्वीकार्य देयताओं के निपटान हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(3) राज्य सरकार लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी और व्यय तथा देयताओं के सत्यापन, मिलान, लेखा-परीक्षा एवं रिपोर्टिंग से संबंधित सभी सम्यक प्रक्रियाओं और प्रक्रियाविधियों को ऐसी रीति से और ऐसी समय-सीमा के भीतर पूरा करेगी, तय की जाएगी।

(4) केंद्रीय सरकार उचित प्रक्रिया और प्रक्रियाविधि के अनुसार स्वीकार्य देयताओं के लिए अपने अंश की निधियाँ जारी करेगी।

5. निधियाँ – (1) केंद्रीय सरकार इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, "नियत तिथि" तक विद्यमान देयताओं की पूर्ति सहित, नियम 3 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट अनुसार, राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा के संचालन के लिए निधि सहायता सुनिश्चित करेगी।

(2) अव्ययित शेष राशि के केंद्रीय हिस्से को राज्यों द्वारा इस संबंध में लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार केंद्रीय सरकार को वापस प्रेषित किया जाएगा।

(3) 2025 के अधिनियम के प्रारंभ होने पर, अधिनियम के अधीन मानक आवंटन हेतु वस्तुनिष्ठ मापदंडों से संबंधित नियमों के अंतिम रूप से बनाए जाने तक, केंद्रीय सरकार योजना के कार्यान्वियन के लिए राज्यों को अंतरिम आवंटन प्रदान कर सकेगी, जो ऐसे नियमों के अनुसार निर्धारित अंतिम मानक आवंटन की सीमा के भीतर होंगे।

6. महात्मा गांधी नरेगा के अधीन कार्य – (1) राज्य नियत तिथि से पूर्व महात्मा गांधी नरेगा के अधीन किए गए सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

(2) नियत तिथि तक महात्मा गांधी नरेगा के अधीन नए कार्यों का प्रारंभ —

क. जब तक नियम 3 के उप नियम (2) में उल्लिखित अनुसार महात्मा गांधी नरेगा प्रचालन में है, तब तक जारी कार्यों को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

ख. बशर्ते कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजगार की मांग की पूर्ण रूप से पूर्ति हो, जहां जारी कार्य ऐसी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हों, वहां केवल वही कार्य जो 2025 के अधिनियम की अनुसूची - I के अनुरूप हों, निर्धारित प्रक्रिया और प्रणाली के अनुसार शुरू किए जा सकेंगे। ऐसे नवोद्घाटित कार्य, जो 2025 के अधिनियम की अनुसूची-I के अनुरूप हों, यदि संक्रमण तिथि को जारी हों, तो उन्हें नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

(3) "संक्रमण तिथि" पर महात्मा गांधी नरेगा के अधीन जारी सभी कार्यों को 2025 के अधिनियम के अधीन आगे बढ़ाया जा सकेगा और उन्हें 2025 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जिसमें धारा 22 में विनिर्दिष्ट निधि-साझाकरण पद्धति सम्मिलित है, जारी रखा जाएगा।

7. श्रमिक पहचान, अभिलेख और ग्रामीण रोज़गार गारंटी पत्र – (1) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन श्रमिकों के जॉब कार्ड, जिन्हें ई-केवाईसी के माध्यम से नवीकृत और सत्यापित किया जा चुका है, 2025 के अधिनियम के अधीन रोज़गार प्राप्त करने के लिए वैध माने जाएँगे। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि 2025 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ग्रामीण रोज़गार गारंटी पत्र, राज्य सरकार द्वारा 2025 के अधिनियम और राज्य द्वारा अधिसूचित योजना के उपबंधों के अनुसार जारी नहीं किए जाते।

(2) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रोज़गार माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक सत्यापित दस्तावेज़ या अभिलेख तब तक वैध बने रहेंगे जब तक कि ऐसे दस्तावेज़ राज्य द्वारा 2025 के अधिनियम और राज्य द्वारा अधिसूचित योजना के उपबंधों के अनुसार जारी नहीं किए जाते।

8. वैधानिक गारंटी – (1) संक्रमण तिथि के पश्चात् महात्मा गांधी नरेगा के अधीन पंजीकृत रोज़गार की किसी भी माँग पर 2025 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी परिवार ने किसी वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अधीन कितनी भी संख्या में दिनों के लिए पहले से रोज़गार प्राप्त किया हो, ऐसा परिवार उस वित्तीय वर्ष में 2025 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गारंटीशुदा रोज़गार के दिनों के शेष के लिए पात्र बना रहेगा।

(3) कार्यक्रम अधिकारी ऐसे रोज़गार के उचित समायोजन, समाधान और लेखांकन को सुनिश्चित करेगा।

9. चल और अचल संपत्तियों का अंतरण – (1) निरसित अधिनियम के अधीन सृजित, अधिप्राप्त या अनुरक्षित सभी चल और अचल संपत्तियाँ 2025 के अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को अंतरित हो जाएँगी।

(2) राज्य ऐसे प्रारूप में और ऐसी समय-सीमाओं के भीतर जो विनिर्दिष्ट किए जाएँ, संपत्ति सूची तैयार करेंगे।

10. अभिलेख, डेटा और दस्तावेज़ – (1) मस्टर रोल, स्वीकृति आदेश, बिल, वाउचर, रजिस्टर, लेखा-परीक्षा फाइलें और कार्यवाहियाँ सहित सभी भौतिक अभिलेखों को संरक्षित किया जाएगा और 2025 के अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को अंतरित किया जाएगा।

(2) प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा, भू-टैग किए गए फोटोग्राफ, बायोमीट्रिक डेटा, भुगतान अभिलेख आदि सहित सभी डिजिटल अभिलेखों को स्थापित प्रक्रियाओं और प्रक्रियाविधियों के अनुसार प्रतिधारित और प्रबंधित किया जाएगा।

(3) संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा जारी अभिलेख प्रतिधारण नीति के अलावा किसी भी अभिलेख को नष्ट नहीं किया जाएगा।

11. कठिनाइयों का निवारण– यदि इन संक्रमणकालीन उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप उचित निदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 397(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (p) of sub-section (2) of section 33 and sub-section (5) of section 37 of the *Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–GRAMG (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025* (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette,are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) This may be referred to as the Transitional Provisions under Viksit Bharat — Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

a. "Act of 2005" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005;

b. "Act of 2025" means the Viksit Bharat – Guarantee For Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025;

c. "appointed date" means the date notified under sub-section (1) of section 37 of the Act of 2025; on and from such date, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall stand repealed;

d. "commencement date" means the date appointed by the Central Government under sub-section (2) of Section 1 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, by notification in the Official Gazette, as the date on which the said Act shall come into force;

e. "interim arrangement" means the scheme in operation immediately before the appointed date, as continued by the State Government, with such modifications, so as to ensure that its provisions are not inconsistent with the provisions of the Act of 2025;

f. "implementing agency" means any department of the Central Government or a State Government, a Zila Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or the Government undertaking, to undertake the implementation of any work taken up under the Scheme;

g. "Liabilities under the Act of 2005" means all incurred and admissible outstanding expenditure relating to wages, materials, administrative expenses (including expenditure on social audit), unemployment allowance, delay compensation, and any other admissible expenditure, incurred under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(hereinafter referred to as Mahatma Gandhi NREGS) up to the date of repeal of the Act of 2005;

h. "Scheme" means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the Act of 2025;

i. "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory;

j. "Transition date" means the date of notification of the Scheme by the State Government in accordance with section 3 of the Act of 2025, or the date of initiation of the interim arrangement by an order issued by the State Government whichever is earlier; provided that such date shall not be beyond six months from the date of commencement of the Act of 2025;

k. All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.

3. General principle of transition. - (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 37 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025, read with all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following rules regarding transitional provisions under the Act of 2025.

(2) Save as provided in section 10 of the Act of 2025, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall continue to remain in force up to such date as the Central Government may, by notification, appoint in this behalf (hereinafter referred to as the "appointed date"), on and from which date the said Act shall stand repealed:

Provided that all liabilities under the said Act of 2005 shall be recognised in accordance with clause (g) of rule 2.

4. Settlement of financial liabilities under the Act of 2005.- (1) All liabilities, as defined in sub-clause (g) of rule 2, under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme sanctioned under the Act of 2005, shall be verified by the State Government, as existing on the appointed date.

(2) The State Government shall ensure that all necessary action is taken to settle the admissible liabilities, after due verification, in accordance with the laid down mechanism.

(3) The State Government shall submit audited Utilisation Certificates and shall fulfil all due processes and procedures relating to verification, reconciliation, audit and reporting of expenditure and liabilities, in such manner and within such timelines as may be decided.

(4) The Central Government shall release its share of funds towards the admissible liabilities as per due process and procedures.

5. Funds. - (1) The Central Government shall, subject to the provisions of these rules, ensure fund support for the operation of the Mahatma Gandhi NREGS in the States, as referred to in sub-rule (2) of rule 3, including for meeting liabilities existing up to the "appointed date".

(2) The Central share of unspent balances shall be remitted back by the States to the Central Government in accordance with the applicable financial rules and procedures in this regard.

(3) Upon commencement of the Act of 2025, pending finalisation of the rules relating to objective parameters for normative allocation under the Act, the Central Government may provide interim allocations to the States for implementation of the Scheme, which shall be within the final normative allocation determined in accordance with such rules.

6. Works under the Mahatma Gandhi NREGS. - (1) The states shall make all efforts to complete all works taken up under the Mahatma Gandhi NREGS before the appointed date.

(2) Opening of new works under the Mahatma Gandhi NREGS till the appointed date-

a. Till the Mahatma Gandhi NREGS is in operation as mentioned in sub-rule (2) of rule 3, preference shall be given to complete the ongoing works.

b. Provided, in order to ensure that employment demand is fully met, where ongoing works are not sufficient to absorb such demand, only such works as are consistent with Schedule I of the Act of 2025 may be undertaken as per the laid down process and procedure. Any such newly opened works, consistent with Schedule I of the Act of 2025, if ongoing as on the transition date, shall be carried forward in accordance with sub-rule (3) of rule 6.

(3) All ongoing works under the Mahatma Gandhi NREGS as on the 'transition date' may be carried forward under the Act of 2025 and shall be continued in accordance with the provisions of the Act of 2025, including the fund-sharing pattern specified in section 22.

7. Worker identity, records and Gramin Rozgar Guarantee Cards.- (1) The Job cards of workers under the Mahatma Gandhi NREGS, which have been renewed and verified through the e-KYC, will be considered valid to avail employment under the Act of 2025. This arrangement will continue till the Gramin Rozgar Guarantee Cards, as per the provisions of the Act of 2025, are issued by the State Government as per the provisions in the Act of 2025 and the Scheme notified by the State.

(2) The verified documents or records necessary to fulfil the employment demand under Mahatma Gandhi NREGS shall continue to be valid till such time such documents are issued by the State as per the provisions in the Act of 2025 and the Scheme notified by the State.

8. Statutory guarantee.- (1) Any demand for employment registered under the Mahatma Gandhi NREGS after the transition date shall be considered in accordance with the provisions of the Act of 2025.

(2) Where a household has already availed employment for any number of days during the given financial year under Mahatma Gandhi NREGS, such a household shall remain eligible for the balance of the guaranteed days of employment in that financial year, in accordance with the provisions of the Act of 2025.

(3) The Programme Officer shall ensure proper adjustment, reconciliation and accounting of such employment.

9. Transfer of movable and immovable assets.- (1) All movable and immovable assets created, procured or maintained under the repealed Act shall stand transferred to the authorities under the Act of 2025.

(2) States shall prepare asset inventories in such form and within such timelines as may be specified.

10. Records, data and documents.- (1) All physical records, including muster rolls, sanction orders, bills, vouchers, registers, audit files and proceedings shall be preserved and transferred to authorities under the Act of 2025.

(2) All digital records, including MIS data, geo-tagged photographs, biometric data, payment records, etc., shall be retained and managed as per the established processes and procedures.

(3) No record shall be destroyed during transition except in accordance with the record retention policy issued by the Government.

11. Removal of Difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to these transitional provisions, the Central Government may, by order, issue appropriate directions or clarifications, consistent with the provisions of the Act.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA